# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

**पीठासीन अधिकारी श्याम सिंह शेखावत, आर.ए.एस.**
अपील संख्या 267/2021

1. गोपी पुत्र श्रीया
2. रामस्वरूप पुत्र श्रीया
3. रामेश्वर पुत्र श्रीया
4. जगदीश पुत्र श्रीया
5. लालाराम पुत्र श्रीया
6. प्रभुनारायण पुत्र श्रीया

समस्त जाति कुमावत, निवासी ग्राम नारेडा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

..... **अपीलार्थीगण**

**बनाम**

1. रूपा उर्फ रूपनारायण पुत्र श्रीया, छोगा, जाति कुमावत, निवासी ग्राम नारेडा, तहसील फागी, जिला जयपुर।
2. तहसीलदार/सब रजिस्ट्रार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

.....**रेस्पोडेन्ट्स**

**अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 25.03.2021 न्यायालय सहायक कलेक्टर फागी, जिला जयपुर प्रार्थना पत्र संख्या 53/2017 उनवान गोपी व अन्य बनाम रूपा व अन्य अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**उपस्थितः**

**रामधन चौधरी एडवोकेट**
विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स
**हनुमान सहाय सिंहाग एडवोकेट**
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1

निर्णय दिनांकः 06/1/2022

## :–निर्णय–:

1. अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर फागी जिला जयपुर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 53/2017 बउनवानी गोपी व अन्य बनाम रूपा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 25.03.2021 के विरूद्व अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि खतौनी संख्या 64 के खसरा नंबर 1089, 1100, 1102, 1103, 1104, 1105, 1107, 1108, 1135 व 1137 कुल किता 10 कुल रकबा 36 बीघा 02 बिस्वा, खाता संख्या 65 के आराजी खसरा नंबर 152, 157, 162, 173/1, 173/2, 174, 175, 177, 178, 179, 219, 220, 280, 282, 283, 284, 289, 291, 292,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

299, 300, 301, 315, 728, 732, 734, 735, 736, 738, 739, 741, 742, 743, 746, 747, 748, 749, 750, 753, 1101, 1106, 1185 व 1187 कुल किता 45 कुल रकबा 90 बीघा 11 बिस्वा, खाता संख्या 66 के आराजी खसरा नंबर 729, 730, 731, 733, 737, 744, 745, 751 व 752 कुल किता 9 कुल रकबा 79 बीघा 01 बिस्वा ग्राम नारेडा, तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित है जो प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 की हिन्दू संयुक्त परिवार की सम्पत्ति है, उपरोक्त वर्णित आराजी में खाता संख्या 64 में प्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 का 2/5 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 01 का रूपा पुत्र छोगा के नाम से 1/5 हिस्सा दर्ज है। प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 ने बालू का हिस्सा खरीदा है इस कारण 2/5 हिस्सा दर्ज है व खाता संख्या 65 व 66 में भी प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 का 1/5 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 1 का रूपा पुत्र छोगा का 1/5 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। कल्याण के नाम जो जमीन पर्चा श्रीया, बालू, पांचू, छोगा व हीरा के नाम से सम्मिलित रूप से आया था तदानुसार काबिज थे व संयुक्त रूप से काश्त करते थे, प्रत्येक के 1/5 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड था। मृतक छोगा के नाम भी 1/5 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड था। छोगा के कोई जायन्दा पुत्र या गोद पुत्र नहीं था इसलिए वह प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 के पिता श्रीया के पास ही रहता था इसलिये मृत्यु पर्यन्त सेवा प्रार्थीगण के पिता ने ही की थी। अंतिम समय में मृतक छोगा ने एक बही में लिखावट भी लिखवाई कि मैं श्रीया के पास में रहा, उन्होंन ही रोटी, कपडा, मकान, दवा आदि की है इसलिये मेरे मरने के बाद मेरे हिस्से की सम्पत्ति का एकमात्र मालिक श्रीया ही हो। यह लिखावट इसलिये लिखी गई कि अन्य कोई भाई, रिश्तेदार सम्पत्ति को लेकर विवाद नहीं करें। छोगा के मरने के बाद सारे क्रियाकर्म श्रीया ने ही किया था, श्रीया की मृत्यु के बाद छोगा के हिस्से की जमीन पर भी प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 का बराबर–बराबर कब्जा है व काश्त कर रहे है। पगडी का दस्तूर भी श्रीया के ही हुआ था। छोगा की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तकरण प्रार्थीगण समस्त व अप्रार्थी संख्या 01 के बहिस्सा बराबर का खुलना चाहिये था परन्तु रूपा शातिर चालक व्यक्ति था उसने छोगा का हिस्से का अकेले अपने नाम से नामान्तकरण खुलवा लिया जो गलत था, रूपा को न तो छोगा ने गोद लिया, न छोगा ने वसीयत रूपा के पक्ष में लिखी, न छोगा के पगडी का दस्तूर हुआ, आज भी छोगा के हिस्से की आराजीयात पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 का प्रत्येक का 1/8 हिस्से पर कब्जा है। छोगा की मृत्यु लगभग 1960 में हो गई, रूपा, छोगा के गोद नहीं गया था इसलिये वोटरलिस्ट सन् 1993, राशनकार्ड सन् 1992, जनगणना सन् 2011 में रूपा के पिता का नाम छीया ही है तथा रूपा के पिता का नाम श्रीया ही अंकित है इसलिये अब तक किसी प्रकार का रूपा उर्फ रूपनारायण के नाम का होने का न पता लगा, न विवाद हुआ, सभी प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 अपने हिस्सेनुसार काबिज है व काश्त कर रहे है। कुछ वर्षो पूर्व जब प्रार्थीगण को रूपा के नाम जमीन लगवाने का पता लगा तो प्रार्थीगण ने आपत्ति की इस पर अप्रार्थी संख्या 01 ने आश्वासन दिया कि वह जमीन प्रार्थीगण के बहिस्सा बराबर लगवा देगा, प्रार्थीगण के कब्जे को स्वीकार किया है। अप्रार्थी संख्या 01 भू–माफियाओं के बहकावे में आकर गलत इन्द्राज के आधार पर विवादित आराजीयात में से अपना तथाकथित हिस्सा विक्रय करने पर उतारू है एवम् आराजीयात को कभी भी विक्रय, हस्तान्तरित कर सकता है। यदि अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो अप्रार्थी आराजीयात को विक्रय, हस्तान्तरित कर देगे जिससे प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति कारित हो सकती है। प्रथमदृष्टया केस व सुविधा का संतुलन

राजस्व अपील प्राधिकारी

प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल है। अंत में अनुतोष चाहा कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर, अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि विवादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीगण के हिस्से से, प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करें, न कब्जा करें, न काश्त में कोई नुकसान करें, राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अभिभाषक उभयपक्षकारान् की बहस सुनकर बाद बहस मनन दिनांक 25.03.2021 को निर्णय पारित कर अप्रार्थी संख्या 01 के रिकॉर्डेड खातेदार होने एवम् प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में बमुकाबले प्रार्थीगण प्रबल होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया गया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेन्ट्स जारी की गई। अभिभाषक पक्षकारान् की बहस सुनी गई। दौराने बहस अभिभाषक अपीलार्थी ने निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा लिखावट के संबंध में पुलिस थाना फागी में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें बाद जांच, पुलिस थाना फागी द्वारा विवादग्रस्त आराजीयात पर अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कब्जा माना है। अपीलान्ट्स द्वारा पुलिस थाना फागी की जांच रिपोर्ट की सत्यप्रतिलिपि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जो अपीलान्ट्स के आराजीयात पर कब्जा हेतु पुख्ता दस्तावेज है एवम् जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रथमदृष्टया केस अपीलान्ट्स के पक्ष में बखूबी साबित था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त जांच रिपोर्ट पर ध्यान न देकर, विधि के सिद्धान्त के विपरीत जाकर मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के रिकॉर्डेड खातेदार होने के आधार पर ही अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से अपीलान्ट्स का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्व खारिज किया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.03.2021 खारिज किया जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अभिभाषक अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुये, निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष घोषणा का वाद पत्र विचाराधीन है जिसमें पक्षकारान् के हक हिस्सा तय होना शेष है। कानूनन रिकॉर्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों को भली भांति समझकर प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवम् अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में प्रबल होने से, अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से अपीलान्ट्स का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सही खारिज किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा का अमूल्य समय व्यर्थ करने के उद्देश्य से आधारहीन तथ्यों का समावेश करते हुए, अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

4. अभिभाषक अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट की बहस पर मनन किया गया। अपील मीमों तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचाराधीन प्रकरण में मुख्य निस्तारण योग्य बिन्दु यह है कि " आया अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट रूपा, छोगा के 1/5 हिस्से के सन्दर्भ में रिकॉर्डेड खातेदार है। " इस सन्दर्भ में पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 का अवलोकन किया गया जिसमें स्पष्ट रूप से रूपा पुत्र छोगा का 1/5 हिस्सा दर्ज है ऐसे में एक रिकॉर्डेड खातेदार को विधिनुसार जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है, जहां तक यह प्रश्न कि छोगा के 1/5 हिस्से का समस्त पक्षकारान् के हित में इन्द्राज होना चाहिये था या नहीं,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

यह बिन्दु वाद के निरतारण का विषय है किन्तु अस्थाई निषेधाज्ञा के निरतारण हेतु प्रथमदृष्टया राजस्व रिकॉर्ड से अप्रार्थी/रेसपोडेन्ट सन्दर्भित हिस्से का वर्तमान में रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो प्रार्थी/अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया गया है वह उचित आदेश प्रतीत होने से इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट आधारहीन होने से खारिज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

5. अतः अपील अपीलान्ट खारिज कर, अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर फागी, जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.03.2021 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील, दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 06/1/2022 को लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर